स्वराज संस्थान संचालनालय

रवीन्द्र भवन परिसर, भोपाल

फोन : 0755–2660407, 2660563, फैक्स : 2660361

ईमेल : **swarajbhavan@gmail.com**

संचालनालय की ओर से ऑडियो स्टूडियो की संचालन व्यवस्था हेतु ऑनलाइन प्रस्ताव आमंत्रण (ई–टेन्डरिंग)

निविदा प्रपत्र का मूल्य – 1,500=00 (रु. एक हज़ार पांच सौ मात्र)

प्रस्ताव का अनुमानित मूल्य–70,00,000=00 (रु. सत्तर लाख मात्र)

वापसी योग्य अमानत (**EMD**) राशि रुपये 1,40,000=00 (रु. एक लाख चालीस हज़ार मात्र)

अनुबंध प्रतिभूति (**Performance Security**) राशि – 5 प्रतिशत (अनुबंध राशि का)

आयुक्त–सह–संचालक

स्वराज संस्थान भोपाल

स्वराज संस्थान संचालनालय
रवीन्द्र भवन परिसर, भोपाल

भाग–1

1. प्रस्तावना :–

स्वराज संस्थान संचालनालय, रवीन्द्र भवन परिसर, भोपाल द्वारा स्थापित ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो के माध्यम से शोधपरक कार्यक्रमो का निर्माण एवं प्रसारण किया जाता है। संचालनालय द्वारा कार्यक्रम निर्माण, प्रसारण तथा इंटरनेट/मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाईन ऑडियो कार्यक्रमों की प्रसारण व्यवस्था में सहयोग हेतु एजेंसी नियुक्त किया जाना प्रस्तावित है। तद्नुसार ऑडियो कार्यक्रम निर्माण के क्षेत्र में दीर्घ अनुभव रखने वाली इच्छुक संस्था/फर्मों से शोधपरक कार्यक्रम निर्माण, प्रसारण एवं स्टूडियो के संचालन के लिये निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन प्रस्ताव ई–टेन्डरिंग पोर्टल www.mptenders.gov.in के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र.	विवरण	दिनांक	समय
1	ऑन लाईन निविदा प्रपत्र क्रय की प्रारंभिक तिथि	15/01/2021	11.00 बजे से
2	ऑनलाईन निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	15/02/2021	17.00 बजे तक
3	ऑन लाईन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	16/02/2021	17.00 बजे तक
4	ऑफ लाईन अभिलेख–कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि	16/02/2021	15.00 बजे तक
5	ऑनलाईन निविदा के तकनीकी ऑफर खोलने की तिथि	17/02/2021	16.00 बजे
6	ऑनलाईन निविदा के वित्तीय ऑफर खोलने की तिथि	19/02/2021	12.30 बजे

निविदा विज्ञापन संचालनालय की वेब साइट www.swarjsansthan.org पर भी देखा जा सकता है।

1.1 निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क रुपये 1,500=00 एवं प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन इन्टरनेट बैंकिग के माध्यम से www.mptenders.gov.in पर जमा कर download किये जा सकते है।

2. प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पात्रता एवं अर्हताऐं :–

2.1 रेडियो कार्यक्रम निर्माण के सम्बन्ध में संस्था का न्यूनतम पॉंच वर्षों का अनुभव आवश्यक है। इस संबंध में विशेष रूप से स्वाधीनता संग्राम, देशभक्ति, संस्कृति, साहित्य, शास्त्रीय संगीत आदि पर केन्द्रित रेडियो कार्यक्रमों के संबंधित प्रमुख कार्यादेशों की सत्यापित स्कैन प्रतियां ऑनलाइन प्रस्तुत करें। डेमो सी.डी. ऑफलाइन प्रस्तुत करें।

2.2 रेडियो केन्द्र के प्रसारण प्रबंधन का न्यूनतम 2 वर्षो का अनुभव होना आवश्यक है।

2.3 वित्तीय सक्षमता के लिये संबंधित क्षेत्र के कार्यों से संबंधित संस्था का पिछले तीन वर्षो में किसी एक वर्ष का टर्नओव्हर कम से कम रूपये 35.00 लाख होना आवश्यक है।

2.4 प्रसार भारती (आकाशवाणी) के लिये कार्यक्रम निर्माण हेतु इम्पेनलमेंट/एक्रेडेशन होना आवश्यक है।

2.5 प्रस्ताव के साथ वापसी योग्य सुरक्षा राशि (Earnest Money Deposit) के रूप में रुपये 1.40 लाख ऑनलाईन के माध्यम से जमा की जावेगी।

3. **ऑफर प्रस्तुत करने हेतु निर्देश :–** ऑनलाइन ऑफर तीन लिफाफा पद्धति में निम्नानुसार प्रस्तुत किये जायें ;

अ. **लिफाफा–'अ'**

1. निर्धारित प्रारूप में नोटराईज मूल शपथ पत्र एवं डेमो सी.डी. भौतिक रूप से दिनांक 16/02/2021 को अपरान्ह 15:00 बजे तक संचालनालय में प्राप्त होने पर ही निर्धारित तिथि पर तकनीकी प्रस्ताव खोला जावेगा।
2. नोटराईज शपथ–पत्र की स्कैन प्रति ऑनलाईन प्रस्ताव के साथ भी लिफाफा 'ब' में प्रस्तुत करें।

ब. **लिफाफा–'ब'** : तकनीकी ऑफर –इस लिफाफे में निम्न अभिलेखो की स्वप्रमाणित प्रतियां/जानकारी ऑनलाइन प्रस्तुत की जाये:–

1. प्रपत्र 'अ' में आवेदक/फर्म से संबंधित जानकारी तथा नोटराईज शपथ पत्र की स्कैन प्रति।
2. कंडिका 2 में वर्णित अनुभव, भोपाल में संचालित ऑडियो स्टूडियो की स्थापना के पंजीयन के प्रमाण–पत्र की प्रथम पंजीयन से आज दिनाँक तक की प्रमाणित स्कैन प्रति ।
3. रेडियो केन्द्र के प्रसारण प्रबंधंन के 02 वर्षों के अनुभव प्रमाण–पत्र की स्कैन प्रति ।
4. प्रसार भारती (आकाशवाणी) के लिये कार्यक्रम निर्माण हेतु इम्पेनलमेंट/एक्रेडेशन की स्कैन प्रति।
5. संस्था का सर्विस टैक्स/जी.एस.टी खाता क्रमांक तथा आयकर पैन नम्बर की प्रमाणित स्कैन प्रति।
6. संस्था की वित्तीय सक्षमता के संदर्भ में विगत तीन वर्षो (वर्ष 2018–19 तक) के साविधिक अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षित प्रमाणित लेखों की प्रमाणित स्कैन प्रति। फार्म 26AS की प्रति भी संलग्न करें।

उपरोक्तानुसार जानकारी/अभिलेख ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है पृथक से **बिन्दु क्रमांक 3. अ (3)** के अलावा कोई जानकारी स्वीकार नही की जायेगी। जानकारी/अभिलेखो के अभाव में यदि तकनीकी ऑफर के परीक्षण में बाधा आती है, तो संबंधित आवेदक को Disqualify किया जा सकता है, जिसके लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। ऑनलाइन प्रस्तुत अभिलेख अस्पष्ट होने अथवा कोई जानकारी स्पष्ट न होने की स्थिति में मूल अभिलेख अथवा स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। कोई नया अभिलेख /जानकारी स्वीकार्य नहीं होगी।

स. **लिफाफा–'स'** : वित्तीय ऑफर – निर्धारित प्रपत्र 'ब' में वित्तीय ऑफर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाये। भौतिक रूप से प्रस्तुत ऑफर स्वीकार नही किया जायेगा।

प्रस्ताव की सूचना में दर्शायी गई निर्धारित तिथि पर लिफाफा–'अ' एवं 'ब' ऑनलाइन खोला जायेगा। तकनीकी ऑफर के परीक्षण पश्चात् जो आवेदक तकनीकी मानदण्डों की पूर्ति करेंगे, उन्हें क्वॉलिफाईड घोषित करते हुये उनके वित्तीय ऑफर निर्धारित तिथि पर ऑनलाइन खोले जायेंगे। इस संबंध में संचालनालय का निर्णय अंतिम होगा।

<u>निविदा खोलना</u>

1. दिनांक 17/02/2021 को 16:00 बजे निविदाकारो अथवा उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में तकनीकी निविदा खोली जायेगी।
2. सबसे पहले भौतिक लिफाफा/ऑफ लाईन लिफाफा खोला जाकर मूल शपथ–पत्र एवं सी.डी. /आवश्यक अभिलेखों का परीक्षण किया जायेगा।
3. केवल तकनीकी रूप से सक्षम निविदाकार के वित्तीय ऑफर निर्धारित तिथि एवं समय पर खोले जावेंगे।
4. सशर्त निविदा मान्य नहीं की जावेगी।
5. अपरिहार्य कारणों से (यदि आवश्यक होगें) तो वित्तीय ऑफर खोलने का समय एवं दिनांक अलग से सूचित किया जावेगा।

4. **विलंब से प्राप्त ऑफर :–** निर्धारित तिथि तथा समय के बाद शपथपत्र की मूल प्रति एवं सी.डी. स्वीकार नहीं की जायेगी।

5. **ऑफर की वैधता :–** एजेंसी द्वारा प्रस्तुत ऑफर कम से कम 90 दिन के लिये वैध होगा, इस अवधि को आपसी सहमति से अवधि को बढ़ाया जा सकेगा। ऑफर वैधता अवधि में प्रस्तावकर्ता द्वारा ऑफर वापस लिये जाने पर सुरक्षा राशि राजसात करने के अतिरिक्त आगामी प्रस्तावों में भाग लेने से भी वंचित किया जायेगा।

6. **सुरक्षा राशि :–** निम्न परिस्थितियों में प्रस्ताव की सुरक्षा राशि राजसात की जा सकेगी

1. ऑफर की वैधता अवधि में आवेदक द्वारा ऑफर वापस लेने पर।
2. स्वीकृति पश्चात निर्धारित समय सीमा में एजेंसी द्वारा Performance Security जमा कर अनुबंध निष्पादित न करने पर।

जिन आवेदको का ऑफर स्वीकार नही किया जायेगा, उनकी सुरक्षा राशि, प्रस्ताव पर निर्णय होने पर यथा समय ऑनलाईन वापस कर दी जायेगी।

7. **अनुबंध की अवधि :–** अनुबंध मूलतः एक वर्ष के लिये होगा। सेवाएं संतोषजनक पाये जाने पर उन्ही दरों एवं शर्तो पर एक वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकेगा।

8. ऑफर स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने तथा प्रस्ताव आमंत्रण प्रक्रिया किसी भी स्टेज पर कारण बताये बगैर समाप्त करने का अधिकार आयुक्त–सह–संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय को होगा।

9. ऑफर प्रस्तुत करने से संबंधित समस्त व्यय आवेदक/प्रस्तावकर्ता को वहन करना होगा।

10. **प्रस्ताव प्रपत्र की शर्तो में संशोधन :–**संचालनालय द्वारा प्रस्ताव आमंत्रण की सूचना जारी करने के पश्चात आवेदन प्रपत्र में यदि कोई संशोधन किया जाता है, तो संशोधन सूचना संचालनालय की वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी।

11. **अनुबंध निष्पादन :–**जिस फर्म/एजेंसी का ऑफर स्वीकृत किया जायेगा उसे स्वीकृति पत्र जारी होने के 15 दिन के अंदर अनुबंधित राशि के पॉच प्रतिशत के बराबर राशि की Performance Security सावधि बैंक जमा रसीद अथवा बैंक गारंटी जो किसी व्यवसायिक बैंक द्वारा जारी की गई हो, के रूप में प्रस्तुत कर अनुबंध निष्पादित करना होगा। सावधि बैंक जमा रसीद/बैंक गारंटी आयुक्त–सह–संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय के नाम होगी, तथा इसकी वैधता अनुबंध अवधि के तीन माह पश्चात् तक होगी।

Performance Security निर्धारित समयावधि में जमा कर अनुबंध निष्पादित न करने पर सुरक्षा राशि राजसात कर ली जायेगी तथा संबंधित प्रस्तावकर्ता को भविष्य में प्रस्तावों में भाग लेने से वंचित किया जायेगा।

नोट :– ऑफर तथा प्रस्ताव शब्द का एक ही तात्पर्य है। इसी प्रकार आवेदक, प्रस्तावकर्ता, संविदाकार, अनुबंधित एजेंसी शब्द का भी एक ही तात्पर्य है तद्नुसार ही इस अनुबंध में इनकी व्याख्या की जायेगी।

भाग–2

संदर्भ एवं अनुबंध शर्ते

कार्यो का विवरण :–

1. स्टूडियो में स्वाधीनता संग्राम, देशभक्ति, संस्कृति, साहित्य, शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत आदि पर केन्द्रित कार्यक्रम निर्माण एवं रिकॉर्डिंग, प्रतिदिन बिना अवकाश अनुमोदित फिक्स्ड प्वाइंट चार्ट अनुसार प्रसारण, संग्रहण, दस्तावेजीकरण, स्टूडियो में उद्घोषणा, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, मिक्सिंग तथा बाह्य आयोजनों के लिए स्पॉट रिकॉर्डिंग व उनका निर्माण संपादन आदि कार्यो की व्यवस्था अनुबंधित एजेंसी को अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति/अमले के माध्यम से कराई जाना होगी। कार्यक्रम निर्माण के दौरान कलाकारों की व्यवस्था तथा निर्धारित दरों पर त्वरित भुगतान की व्यवस्था एजेंसी द्वारा की जाना होगी।

1.1 रेडियो केन्द्र की वेबसाइट का संचालन एवं अपडेशन कार्य में सहयोग के अलावा सोशल मीडिया पर प्रमोशन एवं अपडेशन का कार्य तथा प्रतिदिन प्रातः 7.00 से रात्रि 10.00 बजे तक 15 घण्टे ऑनलाईन/ऑनएयर एवं मोबाइल एप पर निर्बाध प्रसारण की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाना होगा।

1.2 प्रसारित कार्यक्रमों का तिथि एवं समय सहित सम्पूर्ण डाटा संग्रहित कर संचालनालय को नियमित रूप से उपलब्ध कराया जाना होगा। डिजिटल फॉर्मेट में व्यवस्थित रेडियो लायब्रेरी का संधारण करना होगा, जिसकी सॉफ्ट कॉपी संचालनालय को भी उपलब्ध करायी जाना होगी।

2. **कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण :–**

2.1 कार्यक्रम निर्माण/प्रसारण में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी प्रसारण आचार संहिता के दिशा–निर्देशों का पालन आवश्यक होगा, जो निम्नानुसार है :–

- क. शालीनता या मर्यादा का उल्लंघन न हो।
- ख. मित्र देशों की आलोचना न हो।
- ग. किसी धर्म या समुदाय के विरुद्ध बातें, किसी धार्मिक संस्था का शब्दों द्वारा या दृश्य द्वारा अपमान करना या किसी भी प्रकार से साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देना, न हो।
- घ. अश्लीलता, मानहानि, जानबूझकर किया हुआ, झूठा, विचारोत्तेजक संकेत एवं आधा सच, न हो।
- ङ़ हिंसा को बढ़ावा या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने में सहायक बातें या देशविरोधी कृत्य, न हो।
- च. देश की एकता एवं अखण्डता को तोड़ने की कोशिश या न्यायालय का अपमान, न हो।
- छ. देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचाने की कोशिश, न हो।
- ज. किसी व्यक्ति, विशेष समूह, समाज के वर्ग, देश की सार्वजनिक या आचरण संबंधी आलोचनाएँ, अशुभ बातें या झूठी निन्दा करना, न हो।
- झ. अंधविश्वास को प्रोत्साहित करना, न हो।
- ण. महिलाओं एवं बच्चों को बदनाम करना, न हो।
- ट. मादक पदार्थों, मादक द्रव्यों एवं तम्बाकू के उपयोग को बढ़ावा देना या भड़काऊ, झूठी निन्दा करने वाला या द्वेष बढ़ाने वाला या किसी व्यक्ति या समूह की उसकी राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, वर्ण, उम्र या शारीरिक या मानसिक क्षमता के लिये नीचा दिखाने की कोशिश करना, न हो।

2.2 स्टूडियो की प्रबन्धन व्यवस्था अंतर्गत समस्त लेखा, स्थापना, लिपिकीय एवं सुरक्षा, साफ–सफाई, रख–रखाव सम्बन्धी कार्यो के निष्पादन की व्यवस्था चयनित एजेंसी को करनी होगी।

2.3 अभियांत्रिकी (तकनीकी) कार्यो के अंतर्गत समय–समय पर संचालनालय द्वारा संस्थापित समस्त उपकरणों, वातानुकूलित यंत्र, यू.पी.एस., ट्रांसमीटर, कम्प्यूटरों, साफ्टवेयरों इत्यादि का रख–रखाव तथा सभी उपकरणो की समुचित सुरक्षा इसमें शामिल होगी। अनुबंध समाप्ति/निरस्तीकरण की स्थिति में समस्त उपकरण सही हालत में वापस सौपना होंगे। इस पर होने वाला व्यय एजेंसी को वहन करना होगा।

2.4 अनुबंध अवधि में यदि कोई उपकरण एजेंसी के स्टॅाफ की लापरवाही के कारण क्षतिग्रस्त होता है, तो उसके स्थान पर नया उपकरण लगाने का दायित्व एजेंसी का होगा जिसका पृथक से कोई भुगतान नही किया जायेगा।

2.5 यदि कोई उपकरण सामान्य उपयोग होने पर भी तकनीकी कारणो से प्रतिस्थापित (Replace) करना आवश्यक होगा तो इसकी व्यवस्था विभाग द्वारा की जावेगी। कोई भी उपकरण सामान्य उपयोग में क्षतिग्रस्त हुआ है अथवा स्टॅाफ की लापरवाही के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है तो इस संबंध में आयुक्त–सह–संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय का निर्णय अंतिम होगा। किसी भी स्थिति में निर्वाध रूप से सेवाएं जारी रखने का दायित्व एजेंसी का होगा।

2.6 कार्यक्रमों एवं कार्यावधि में वृद्धि या कमी के लिये प्रोरेटा बेसिस पर गणना करने के सर्वाधिकार आयुक्त–सह–संचालक के पास सुरक्षित होंगे।

3. विभाग द्वारा एजेंसी को दी जाने वाली सुविधाएँ व जानकारी :–

3.1 संचालनालय द्वारा किराये के भवन में स्थापित आडियो रिर्कांडिंग स्टूडियो, कार्यक्रमों की प्रसारण प्रणाली एवं संबंधित उपकरण चयनित एजेंसी को उपयोग हेतु उपलब्ध कराई जायेगी।

3.2 भवन का किराया, बिजली व्यय एवं दूरभाष व्यय संचालनालय द्वारा वहन किया जायेगा।

3.3 संचालनालय द्वारा पूर्व में तैयार कराये गए रेडियो कार्यक्रमों, आज़ादी के तरानों के संग्रह की सी.डी./सॉफ्ट कॉपी प्रदाय की जाएगी जिन्हें यथा समय आवश्यक सम्पादन पश्चात् प्रसारित किया जा सकेगा।

4. सामान्य नियम/शर्ते

4.1 अनुबंधित अवधि एक वर्ष के लिये होगी। एजेंसी का कार्य संतोषजनक पाये जाने पर समान दरों एवं शर्तों पर अनुबंध अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ाई जा सकेगी। अनुबंधित एजेंसी का कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर अनुबंध बीच में भी समाप्त किया जा सकेगा। इस संबंध में आयुक्त–सह–संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय का निर्णय अंतिम होगा।

4.2 सफल प्रस्तावकर्ता को आयुक्त–सह–संचालक, संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय के पक्ष में अनुबंधित राशि के 5% के बराबर प्रतिभूति राशि मियादी जमा पत्रक (एफडीआर/बैक गारण्टी) के रूप में जमा करायी जानी होगी, जो कि किसी व्यवसायिक बैंक द्वारा जारी की गई हो। किसी भी प्रकार की क्षति के लिए प्रस्तावकर्ता संस्था से क्षति की भरपायी प्रथमतः प्रतिभूति राशि से तथा शेष भू–राजस्व की बकाया राशि की तरह वसूल की जा सकेगी। प्रतिभूति राशि अनुबंध अवधि समाप्ति के तीन माह पश्चात् रिलीज की जा सकेगी।

4.3 चयनित एजेंसी द्वारा स्टूडियो की संचालन व्यवस्था संबंधी कार्यो का चार्ज लेने पर जिन व्यक्तियों को संलग्न किया जावेगा उनके नाम, पूर्ण पता, आयु, फोटो, मेडिकल फिटनेस एवं पुलिस सत्यापन प्रमाण–पत्र व्यक्तिवार नस्ति (फाईल) के रूप में संचालनालय को उपलब्ध कराना होगा।

4.4 कोई भी शासकीय सामग्री आयुक्त–सह–संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी की अनुमति के बिना स्टूडियो से बाहर जाने नहीं दी जावेगी। अनुमति प्राप्त सामग्री बाहर जाने एवं वापस स्टूडियो में पूर्ववत स्थिति में आने हेतु एक पंजी रखी जावेगी। कोई भी शासकीय सामग्री बाहर जाने तथा वापस लाने के दौरान क्षतिग्रस्त होने पर उक्त सामग्री का मूल्य एजेंसी से वसूले जाने का पूर्ण अधिकार संचालनालय को होगा।

4.5 अनुबंधित एजेंसी द्वारा पदस्थ अमले में से किसी भी कर्मचारी को अल्कोहोलिक/मादक औषधि सेवन करने की दशा में पाये जाने पर सम्बन्धित कर्मी अथवा द्वितीय पक्षकार की सेवाएँ बिना कारण बताए तत्काल समाप्त की जावेगी। द्वितीय पक्षकार अथवा उनके द्वारा पदस्थ अमले द्वारा कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण में कार्यों के विवरण के बिन्दु क्र. 2 में उल्लेखित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा तथा स्टूडियो का उपयोग किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत कार्य अथवा अवांछनीय/अवैधानिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जायेगा।

4.6 अनुबंधित कार्य हेतु एजेंसी द्वारा कार्य में लगाये गये व्यक्तियों के समस्त प्रकार के भुगतान की जवाबदारी एजेंसी की होगी। कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना की सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। एजेंसी द्वारा इस कार्य हेतु लगाये गये व्यक्तियों को स्वराज संस्थान संचालनालय/स्टूडियो में रोजगार प्राप्त करने का कोई अधिकार सृजित नहीं होगा।

4.7 अनुबंधित एजेंसी अथवा उनके अधीनस्थों को स्वराज संस्थान संचालनालय अथवा उनके स्टूडियो के बैनर तले कोई स्वतंत्र पत्राचार करने का अधिकार सृजित नहीं होगा।

4.8 सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार गणतंत्र दिवस, स्वाधीनता दिवस या अन्य किसी महत्वपूर्ण अवसर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री द्वारा किया गया प्रसारण अनिवार्य रूप से रिले करने की व्यवस्था करनी होगी।

5. **वाद निराकरण** :– किसी प्रकार का वाद उत्पन्न होने पर उभयपक्ष यथासंभव आपसी सहमति से वाद का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। वाद निराकरण न होने की स्थिति में प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग को अपील की जा सकेंगी। प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, संस्कृति विभाग के निर्णय से असहमत होने की स्थिति में वाद का निराकरण आर्बिट्रेशन एण्ड रिकंसिलेशन एक्ट 1996 के प्रावधानो के अनुसार किया जायेगा।

6. **फोर्स मेजर (Force majeure)**

6.1 इस अनुबंध में फोर्स मेजर से तात्पर्य उन परिस्थितियों/घटनाओं से है जो अनुबंध में वर्णित उभयपक्षो के नियंत्रण में न हो तथा जिनके होने से किसी भी पक्ष द्वारा अनुबंध में निहित दायित्वों का पालन व्यवहारिक रूप से असंभव हो जाये, जैसे युद्ध, दंगा, भूकंप, आग, विस्फोट, तूफान, बाढ़ आदि के कारण एक निश्चित समय के लिये रिर्काडिंग करना, स्टूडियो चलाना संभव न हो।

6.2 फोर्स मेजर में वे परिस्थितियां/घटनाएं सम्मिलित नही मानी जायेंगी, जिनका आकलन अनुबंध करने से पूर्व संबंधित पक्ष द्वारा तर्कसंगत रूप से किया जाना संभव था। इसमें एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा बीमारी, अवकाश, सेवा संबंधी वाद के कारण हड़ताल, अनुपस्थिति आदि सम्मिलित नही होंगे।

6.3 दायित्वों के निर्वहन हेतु विभाग द्वारा प्रदत्त उपकरण अथवा एजेंसी द्वारा लगाये जाने वाले उपकरणो का समुचित रख–रखाव एवं वैकल्पिक व्यवस्था रखना एजेंसी का दायित्व होगा। किसी भी उपकरण में खराबी आने के कारण सेवाओं में कमी फोर्स मेजर के अंतर्गत नही आयेगी।

6.4 अनुच्छेद 6.1 में वर्णित परिस्थितियों के कारण यदि किसी पक्ष द्वारा दायित्वों के निर्वहन में कमी आती है तो उसे Breach of Contract नही माना जायेगा।

7. अनुबंधित कार्यो से संबंधित सभी प्रकार के करो के भुगतान का दायित्व एजेंसी का होगा।

8. भुगतान शर्तें :– एजेंसी द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर वार्षिक दर का 1/12, नियमानुसार कटौती करने के बाद, प्रतिमाह भुगतान किया जायेगा।

किसी वित्तीय प्रतिबंध अथवा त्रैमास में बजट अनुपलब्धता के कारण यथा समय भुगतान नहीं होने की स्थिति में अनुबंधित एजेंसी को स्वयं के व्यय पर स्टूडियो का संचालन जारी रखना होगा, ताकि निर्बाध प्रसारण हो सके। इस प्रकार के विलम्बित भुगतान के लिये किसी भी प्रकार की अतिरिक्त राशि/ब्याज राशि भुगतान योग्य नहीं होगी।

9. पेनाल्टी :– सेवा की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर पेनाल्टी अधिरोपित करने का अधिकार विभाग को होगा। इस संबंध में आयुक्त–सह–संचालक, स्वराज संस्थान संचालनालय का निर्णय अंतिम होगा।

10. Sub-letting :– अनुबंधित एजेंसी द्वारा कार्य किसी अन्य एजेंसी को सबलेट नही किया जायेगा। ऐसा करने पर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार संचालनालय को होगा।

11. अनुबंध निरस्ती :–

11.1 निम्न परिस्थितियों में अनुबंध समाप्त करने की कार्यवाही संचालनालय द्वारा की जा सकेगी। अनुबंध समाप्त करने से पूर्व संस्था को, 15 दिन का, कारण बताओ नोटिस जारी किया जायेगा;

(क) अनुच्छेद–2 में वर्णित भारत सरकार द्वारा जारी प्रसारण आचार–संहिता के दिशा–निर्देशो का उल्लंघन पाये जाने पर।

(ख) अनुबंधित सेवाओं में अथवा उनकी गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर।

(ग) एजेंसी अथवा उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारियों द्वारा विभागीय अधिकारियो के निर्देशो का पालन न करने अथवा अशिष्ट व्यवहार करने पर।

(घ) एजेंसी द्वारा अपने कर्मचारियो को देय वेतन/भत्तो तथा शासकीय कर आदि का समय पर भुगतान न करने पर।

12. अनुच्छेद–11 के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने पर भी एजेंसी को आगामी तीन माह तक, वैकल्पिक व्यवस्था होने तक, सेवाएं जारी रखनी पड़ेगी तथा इसके लिये उसे निर्धारित दर से भुगतान की पात्रता होगी। अनुबंध निरस्तीकरण के फलस्वरूप प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जायेगी।

प्रपत्र–अ

स्वराज संस्थान संचालनालय

रवीन्द्र भवन परिसर, भोपाल

फोन : 0755–2660407, 2660563, फैक्स : 2660361

ऑडियो स्टूडियो की संचालन व्यवस्था संबंधी कार्यो के लिए प्रस्ताव प्रपत्र

1	प्रस्तावकर्ता रिकॉर्डिंग स्टूडियो का नाम	
2	कार्यालयीन पता	
3	स्टूडियो प्रमुख का नाम	
4	पत्र व्यवहार का पता	
5	दूरभाष एवं मोबाइल	
6	सुरक्षा निधि के रूप में वापसी योग्य राशि रू. 1,40,000/– के ऑनलाईन जमा करने का विवरण	
7	रिकॉर्डिंग स्टूडियो की स्थापना का पंजीयन दिनांक (प्रथम पंजीयन से आज दिनांक तक प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति प्रपत्र 'अ' के साथ संलग्न करें)	
8	सर्विस टैक्स/जी.एस.टी. का खाता क्रमांक	
9	संस्था का आयकर नम्बर (पेन कार्ड नम्बर)	
10	विगत तीन वर्ष का टर्न ओवर आयकर विवरणी की सत्यापित स्कैन प्रति प्रपत्र 'अ' के साथ संलग्न करें।	वर्ष 2016–17 __________ वर्ष 2017–18 __________ वर्ष 2018–19 __________
11	प्रसार भारती (आकाशवाणी) कार्यक्रम निर्माण हेतु इम्पेनलमेंट/एक्रेडेशन। (प्रमाण पत्र की सत्यापित स्कैन प्रति प्रपत्र 'अ' के साथ संलग्न करें)	
12	शोधपरक रेडियो कार्यक्रम निर्माण के क्षेत्र में संस्था का न्यूनतम पाँच वर्षो का अनुभव। स्वाधीनता संग्राम, देशभक्ति, संस्कृति, साहित्य, शास्त्रीय संगीत आदि पर केन्द्रित रेडियो कार्यक्रमों के संबंधित प्रमुख कार्यादेशों की सत्यापित स्कैन प्रतियां ऑन लाईन प्रस्तुत करें। डेमो सी.डी. ऑफलाईन प्रस्तुत करें।	प्रपत्र 'अ' के साथ नीचे उल्लिखित प्रोफार्म में जानकारी दें। (1) क्रमांक (2) संस्था, जिसके लिये कार्यक्रम तैयार किये गए (3) कार्यक्रम का विषय/टाइटल (4) प्रमुख अनुभव प्रमाण पत्र (5) संबंधित संस्था का प्रमाण–पत्र
13	रेडियो केन्द्र के प्रसारण प्रबंधन का न्यूनतम 2 वर्षो का अनुभव। प्रमाण–पत्र/कार्यादेश की स्कैन प्रति संलग्न करें।	प्रपत्र "अ" के साथ संलग्न करें।
14	दर पत्रक	(प्रपत्र 'ब' में जानकारी दी जाए जिसे पृथक लिफाफा 'स' में हस्ताक्षरित स्कैन प्रति संलग्न करें)

टीप :– सभी आवश्यक दस्तावेज स्व–प्रमाणित कर स्कैन प्रतियां संलग्न करें।

स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टूडियो का आऊट सोर्सिंग के माध्यम से संचालन, कार्यक्रम निर्माण एवं रखरखाव संबंधी कार्यो के लिए संलग्न नियम/शर्ते हमें मान्य है।

दिनांक

हस्ताक्षर
(स्टूडियो की सील सहित)
नाम
पता

प्रपत्र–ब

स्टूडियो की संचालन व्यवस्था के लिए दर पत्रक

क्र.	प्रस्ताव प्रपत्र में उल्लिखित अनुसार कार्य का विवरण	राशि रूपये (प्रतिवर्ष)
1	**2**	**3**
1 2 3 4	कार्यक्रम निर्माण संबंधी कार्य तकनीकी रख–रखाव संबंधी कार्य प्रबन्धन संबंधी कार्य अन्य आकस्मिक कार्य	
	योग	
	GST	
	कुल योग	

शब्दों में राशि रुपये ....

................................**मात्र**

अनुबंध प्रारूप

यह अनुबंध, आज दिनांक .... को स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल, जिसकी अभिव्यक्ति में जहॉ संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके उत्तराधिकारी सम्मलित है (जिसे आगे प्रथम पक्ष कहा गया है) एवं श्री/मेसर्स ....जिसकी अभिव्यक्ति में जहां संदर्भ में ऐसा स्वीकार्य हो उसके निष्पादक, प्रबंधक, प्रतिनिधिगण तथा उत्तराधिकारी सम्मिलित हैं (जिसे आगे द्वितीय पक्ष कहा गया है) के मध्य, निष्पादित किया जाता है।

जैसा कि :

(i) प्रथम पक्ष द्वारा भोपाल में स्थापित आडियो रिर्काडिंग स्टूडियो के माध्यम से शोधपरक कार्यक्रमो के निर्माण एवं प्रसारण में सहयोग हेतु कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण के क्षेत्र में दीर्घ अनुभव रखने वाली संस्था/फर्मो से दिनांक .... को ऑफर आमंत्रित किये गये थे।

(ii) द्वितीय पक्ष द्वारा तकनीकी ऑफर के माध्यम से उपरोक्त कार्य हेतु वांछित अनुभव, वित्तीय क्षमता तथा कुशल एवं प्रशिक्षित मानव बल की उपलब्धता बताते हुये अपना वित्तीय ऑफर राशि रू............. + GST राशि रु................. प्रस्तुत किया है। जिसे संलग्न प्रस्ताव आमंत्रण प्रपत्र में निहित शर्तो पर द्वितीय पक्ष द्वारा स्वीकार किया गया है।

तद्नुसार यह अनुबंध निष्पादित किया जाता है। निम्न अभिलेख इस अनुबंध का अभिन्न भाग है :

(i) संचालनालय द्वारा आडियो स्टूडियो की संचालन व्यवस्था हेतु जारी प्रस्ताव आमंत्रण प्रपत्र (Request for Proposal) पृष्ठ 1 से 10 तक।

(ii) संचालनालय द्वारा जारी स्वीकृति पत्र (संलग्नक ....)।

(iii) द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत ऑफर।

द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध में निहित शर्तो के अनुसार कार्य संपादन किया जायेगा, तथा प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तो के अनुसार द्वितीय पक्ष को समय–समय पर भुगतान किया जायेगा।

यह अनुबंध उभयपक्षो द्वारा नीचे लिखे साक्षियों की उपस्थिति में आज दिनांक ....को निष्पादित किया जाता है।

द्वितीय पक्ष अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर	**प्रथम पक्ष के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर**

गवाह (हस्ताक्षर, नाम एवं पता)

1. ....

2. ....

शपथ पत्र

मैं ....उम्र....................संस्था का नाम एवं पता.. ....शपथपूर्वक एवं सत्यनिष्ठा से प्रमाणित करता हूँ कि निविदा प्रस्ताव अंतर्गत मेरे द्वारा ऑनलाईन एवं ऑफ लाईन प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में दी गई जानकारी सही एवं सत्य है। भविष्य में आवश्यकता होने पर मूल दस्तावेज आवश्यकतानुसार मेरे द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे। मूल दस्तावेज अथवा दी गई जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा निविदा प्रस्ताव निरस्त माना जायेगा।

2. एजेंसी को पूर्व में किसी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया हो न निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किया गया हो।
3. एजेंसी अथवा इसके मालिक/प्रबंधकों के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण चलन में नहीं हो।
4. एजेंसी का कोई रिश्तेदार संचालनालय में कार्यरत नहीं हो ना ही संचालनालय का कोई अधिकारी जो पिछले 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हुआ हो एजेंसी में मालिक/पार्टनर या कर्मचारी के रूप में कार्यरत हो।

शपथगृहिता
(प्रस्तावकर्ता के हस्ताक्षर एवं नाम/संस्था का नाम)

सत्यापन

मैं ....शपथगृहिता यह सत्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है।

शपथगृहिता
(प्रस्तावकर्ता के हस्ताक्षर एवं नाम/संस्था का नाम)

ई-निविदा में भाग लेने हेतु दिशा निर्देश

1. निविदा में भाग लेने के इच्छुक फर्म्स/कम्पनियों/संस्थाओं को सर्वप्रथम ऑन लाइन पंजीयन www.mptenders.gov.in पोर्टल पर करना होगा, जिसकी फीस उनके द्वारा देय होगी, जिसके आधार पर निविदाकार ई-निविदा प्रक्रिया में भाग ले सकता है। यह रजिस्ट्रेशन कभी भी कराया जा सकता है, तथा इस रजिस्ट्रेशन के पश्चात् निविदाकार मध्यप्रदेश शासन के किसी भी ई-निविदा प्रक्रिया में पूरे वर्ष भाग ले सकता है।
2. प्रोसेर्सिंग फीस निविदाकार को निर्धारित ई-पेमेंट के द्वारा भुगतान करना होगा।
3. वापसी योग्य सुरक्षा राशि रुपये 1,40,000=00 (राशि रुपये **एक लाख चालीस हज़ार** मात्र) राशि निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ऑनलाईन भुगतान करना होगा।
4. निविदाकार वेबसाईट www.mptenders.gov.in पोर्टल पर लॉग-इन करके रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेर्सिंग फीस एवं अमानत राशि जमा करके ई-निवदा में भाग ले सकेगा। निविदाकार स्वयं यह समाधान कर ले कि वह ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित पात्रता रखता है।
5. ई-निविदा प्रक्रिया हेतु पोर्टल में पंजीयन करने, भुगतान प्रक्रिया तथा ई-निविदा प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं तत्संबंधी जानकारी प्राप्त करने हेतु ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के हेल्प डेस्क फोन नम्बर 0755-2518667, 2518678 पर किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक संपर्क कर सकते है, साथ ही ई-मेल आई mptenders@mpsedc.com पर अपनी पृच्छा कर सकते है।
6. तकनीकी बिड, खोले जाने के पूर्व दिनांक 16.02.2021 को अपरान्ह 15:00 बजे तक मूल शपथ पत्र तथा डेमो सी.डी. स्वराज संस्थान संचालनालय में जमा करना अनिवार्य होगा।